वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 21.03.2026 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, हिंदुस्तान, न्यायाधीश,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला –दि0 21.03.2026

नक्शा स्वीकृति की छूट के साथ सरकार के पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य : वीडीए उपाध्यक्ष

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा ने कहा कि जनसामान्य में यह धारणा बनी हुई है कि 100 वर्गमीटर तक के आवासीय और 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक निर्माण के लिए किसी प्रकार की कार्रवाई की जरूरत नहीं होती है। जबकि यह धारणा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 के अनुरूप नहीं है। उन्होंने बताया कि भवन निर्माण उपविधियों के अनुसार 100 वर्गमीटर तक के आवासीय उपयोग के लिए नक्शा स्वीकृति से भले ही छूट दी गई है। निर्माणकर्ता के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से तैयार पोर्टल map.up.gov.in पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित व्यक्तियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने निर्माण कार्य का पंजीकरण उक्त पोर्टल पर करें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आवेदन शुल्क केवल 1 (एक) रुपये है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी शुल्क पोर्टल पर दर्शाए गए अनुसार ही जमा करने होंगे। यह भी बताया जाता है कि शुल्क या प्रक्रिया में किसी प्रकार का परिवर्तन करने में वाराणसी विकास प्राधिकरण की कोई भूमिका नहीं है। ब्यूरो

हिन्दुस्तान–दि0 21.03.2026

प्राधिकरण की संपत्तियों की कीमत कम करने की तैयारी

लखनऊ। राज्य सरकार विकास प्राधिकरण संपत्तियों की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर रोक लगाने जा रही है। पुराने संपत्तियों की कीमतों के लिए नीति लाने के बाद नई संपत्तियों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था बनाने की तैयारी है, जिससे आम लोगों आसानी से अपने लिए घर खरीद सकें।

प्रदेश के विकास प्राधिकरण अपने हिसाब से संपत्तियों की कीमतें तय करते हैं। कुछ संपत्तियों की कीमतें इतनी अधिक होती हैं कि ये आम लोगों की पहुंच से दूर हो जाती हैं। इसीलिए उच्च स्तर पर सहमति बनी है कि विकास प्राधिकरण की संपत्तियों की कीमत तय करने के लिए स्पष्ट नीति लाई जाए। इसके अलावा विकास की दरों में संशोधनकिया जाएगा। अधिकारियों का मानना है कि लागत में कमी आने से कीमतों में कमी आएगी।

हिन्दुस्तान–दि0 21.03.2026

बिना दंड मिल सकेगी प्राधिकरण में फंसी संपत्ति

ओटीएस

लखनऊ, विशेष संवाददाता। विकास प्राधिकरणों में फंसी संपत्तियों को आवंटियों को देने के लिए एक मुश्त समाधान (ओटीएस) योजना लागू कर दी गई है। इस योजना से बिना दंड ब्याज दिए आवंटी अपनी संपत्तियों पर कब्जा पा सकेंगे। नक्शा स्वीकृत होने के बाद 90 दिनों तक पैसा न जमा करने वालों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। आवंटियों द्वारा पूर्व में जमा की गई धनराशि ओटीएस गणना में अधिक होने पर वापस नहीं की जाएगी।

प्रमुख सचिव आवास पी. गुरुप्रसाद द्वारा शुक्रवार को जारी शासनादेश के मुताबिक ओटीएस योजना का लाभ सभी तरह की संपत्तियों पर मिलेगा। किसी प्रकार का दंड ब्याज नहीं लिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये फीस और 5000 शुल्क लगेगा।

आवंटी को तीस दिन में देनी होगी पहली किस्त

ओटीएस के बाद 50 लाख तक की धनराशि 1/3 पहली किस्त 30 दिन और शेष तीन मासिक किस्तों में तीन माह में देनी होगी। 50 लाख से अधिक होने पर 1/3 धनराशि 30 दिन और शेष तीन द्विमासिक किस्तों में छह माह में देना होगा। समय से पैसा न देने पर अतिरिक्त दंड ब्याज के साथ एक माह में जमा करने का मौका मिलेगा।

न्यायाधीश–दि0 21.03.2026

तीन दिवसीय 'संपत्ति रजिस्ट्री कैंप' 23 से

वाराणसी। वाविप्रा उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा के निर्देशानुसार 23.03.2026 से 25.03.2026 तक तीन दिवसीय 'संपत्ति रजिस्ट्री कैंप' का आयोजन किया जा रहा है। यह कैंप प्रतिदिन पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक प्राधिकरण सभागार में आयोजित होगा। कैंप के माध्यम से पूर्ण भुगतान कर चुके आवंटियों/लाभार्थियों को एक ही स्थान पर रजिस्ट्री की सुगम एवं त्वरित सुविधा प्रदान की जाएगी। प्राधिकरण द्वारा सभी संबंधित आवंटियों से अनुरोध है कि वे निर्धारित तिथि एवं समय पर आवश्यक अभिलेखों सहित उपस्थित होकर कैंप का लाभ उठाएं।